

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF EDUCATION
DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION

Appointment of the first Registrar and the first Finance Officer of Sindhu Central University (SCU)

Applications are invited for the posts of the first Registrar (01-UR, Pay level 14) and the first Finance Officer (01-UR, Pay level 14) of Sindhu Central University through deputation or Direct Recruitment for a term of three years (Age - preferably below 57 years) in exercise of power conferred under Section 44(b) of Central Universities Act, 2009. In case of Misconduct or unsatisfactory performance such employee appointed as Registrar or Finance Officer may be repatriated/removed.

(1) Educational and other qualifications for the Registrar:

On Direct recruitment basis:

- i. Master's degree with at least 55% of the marks or an equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed; and
- ii. At least 15 years of experience as Assistant Professor in the Academic Level 11 and above or with 8 years of service in the Academic Level 12 and above including as Associate Professor along with experience in educational administration;

Or

Comparable experience in research establishment and/or other institutions of higher education;

Or

15 Years of administrative experience, of which 8 years shall be as Deputy Registrar or an equivalent post.

On Deputation basis:

Qualifications & Experience: As indicated above for Direct Recruitment basis.

Grade: Holding analogous post or eight years' experience at Pay Level-12.

(2) Educational and other qualifications for the Finance Officer:

On Direct recruitment basis: Same as that for Registrar on Direct Recruitment basis

On Deputation basis:

Appointment preferably by drawing officers not below the Level 12 belonging to the Indian Audit and Accounts services or other similar organized Services in Central/ State Govt.

Or

University System/ Other organisation subject to fulfilment of qualification as indicated for Direct Recruitment basis.

Procedure for appointment

- Appointment will be made by the Hon'ble Visitor (Hon'ble President of India) from a panel each for the first Registrar and the first Finance Officer consisting of at least three persons, in alphabetical order, recommended by a Committee, consisting of three persons of eminence in academic and public life, constituted by the Visitor for the purpose.
- The advertisement is available on the websites <http://www.education.gov.in>. and <https://sindhucu.ac.in>.
- Candidates are required to **“APPLY ONLINE ONLY”** on the Ministry of Education SAMARTH portal as per the link given below:

<https://moegroupant.samarth.ac.in/>

- The above link will be active from **20.08.2025**, 10:00 Hours to **18.09.2025**, 17:00 Hours.

भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय (एससीयू) के प्रथम कुलसचिव और प्रथम वित्त अधिकारी की नियुक्ति

सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय में प्रथम कुलसचिव (01-अनारक्षित, वेतन स्तर-14) तथा प्रथम वित्त अधिकारी (01-अनारक्षित, वेतन स्तर-14) के पदों पर प्रतिनियुक्ति या सीधी भर्ती के माध्यम से तीन वर्ष की अवधि के लिए (आयु - अधिमानतः 57 वर्ष से कम) केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की धारा 44(ख) के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। कुलसचिव अथवा वित्त अधिकारी के रूप में नियुक्त ऐसे अधिकारी के किसी भी प्रकार के दुराचरण या असंतोषजनक कार्य प्रदर्शन की स्थिति में उन्हें प्रत्यावर्तित किया जा सकता है/उनके पद से हटाया जा सकता है।

(1) कुलसचिव के लिए शैक्षणिक और अन्य अर्हताएं:

सीधी भर्ती के माध्यम से:

- i. न्यूनतम 55% अंकों अथवा समकक्ष ग्रेड के साथ मास्टर डिग्री, जहां ग्रेडिंग प्रणाली लागू हो वहां बिंदु पैमाना लागू होगा; और
- ii. सहायक प्रोफेसर के रूप में शैक्षणिक स्तर 11 और उससे ऊपर के स्तर में 15 वर्षों का अनुभव या शैक्षणिक स्तर 12 और उससे ऊपर के स्तर में 8 वर्षों का सेवा अनुभव, जिसमें सहायक प्रोफेसर के साथ शैक्षणिक प्रशासन में अनुभव भी शामिल है;

अथवा

किसी शोध संस्था और/अथवा अन्य उच्च शिक्षा संस्थाओं में समान स्तर का अनुभव;

अथवा

प्रशासनिक क्षेत्र में 15 वर्षों का अनुभव, जिसमें से 8 वर्षों का अनुभव उप-कुलसचिव या समकक्ष पद का हो।

प्रतिनियुक्ति के आधार पर:

अर्हताएं एवं अनुभव: सीधी भर्ती के आधार पर नियुक्ति हेतु ऊपर वर्णित किए गए अनुसार।

ग्रेड: समकक्ष पद पर कार्यरत हों या वेतन स्तर-12 पर कम से कम आठ वर्षों का अनुभव हो।

(2) वित्त अधिकारी के लिए शैक्षणिक और अन्य अर्हताएं:

सीधी भर्ती के आधार पर:

वही अर्हताएं, जो सीधी भर्ती के आधार पर कुलसचिव के लिए निर्धारित हैं।

प्रतिनियुक्ति के आधार पर:

अधिमानतः भारतीय लेखापरीक्षा तथा लेखा सेवा अथवा केंद्र/राज्य सरकार की अन्य समनुरूप संगठित सेवाओं के स्तर-12 से अन्यून स्तर के आहरण अधिकारियों की नियुक्ति;

अथवा

विश्वविद्यालय प्रणाली/अन्य संस्थानों से, बशर्ते वे सीधी भर्ती के लिए यथा निर्धारित अर्हताओं को पूरा करते हों।

नियुक्ति की प्रक्रिया:

- यह नियुक्ति माननीय विज़िटर (भारत के राष्ट्रपति) द्वारा इस प्रयोजन हेतु गठित समिति, जिसमें शिक्षा एवं सार्वजनिक जीवन से संबंधित तीन प्रतिष्ठित व्यक्ति होंगे, द्वारा प्रथम कुलसचिव एवं प्रथम वित्त अधिकारी के प्रत्येक पद हेतु अनुशंसित कम से कम तीन नामों (वर्णमाला क्रम में) के पैनल से की जाएगी।
- यह विज्ञापन <http://www.education.gov.in> और <https://sindhucu.ac.in> वेबसाइटों पर उपलब्ध है।
- उम्मीदवारों को नीचे दिए गए लिंक के अनुसार शिक्षा मंत्रालय समर्थ पोर्टल पर "केवल ऑनलाइन आवेदन करना" अपेक्षित है:
<https://moegroupant.samarth.ac.in/>
- उपरोक्त लिंक दिनांक **20.08.2025**, 10:00 बजे से दिनांक **18.09.2025**, 17:00 बजे तक सक्रिय रहेगा।